न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 83/2020 जिला सीकर ।

1. जामु नारायण एन्टरप्राईजेज प्रा. लि. 101, मैन्नम हाउस 2, पश्चिमी दिल्ली जरिये अधिकृत निदेशक हेमन्त कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नन्दकिशोर अग्रवाल जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 39, रामाकिशनपुरा, सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. छिगनी देवी पत्नि स्व. श्री भूराराम जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर (मृतक) (हजाफ)
2. प्रभूदयाल पुत्र देबूराम जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
3. किशोर पुत्र स्व. कुरडाराम जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
4. किशोर पुत्र स्व. कुरडाराम जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
5. राजू पुत्र स्व. कुरडाराम जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
6. महावीर पुत्र स्व. कुरडाराम जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
7. महेन्द्र पुत्र स्व. कुरडाराम जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
8. सुभाष पुत्र स्व. कुरडाराम जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
9. भागोती पत्नी स्व. कुरडाराम जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
10. सीताराम पुत्र स्व. सुखनाथ जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
11. बजरंगलाल पुत्र स्व. सुखनाथ जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
12. बनवारी लाल पुत्र स्व. सुखनाथ जाति जोगी निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

13. उमराव देवी पुत्री हरजीनाथ पत्नी कालूनाथ जाति जोगी निवासी नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर
14. तहसीलदार सीकर जिला सीकर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 19.02.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 30/2011

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री रविकान्त शर्मा।
2. रेस्पोडेंट संख्या 10 से 12 की ओर से एड. श्री हरलाल सिंह।
3. रेस्पोडेंट संख्या 13 की ओर से श्री एस. के. गिरि।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–19.07.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 19.02.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ दिनांक 12.03.2020 को प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर सीकर द्वारा शीर्षक अपील छिगनी देवी बनाम उमराव में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार सीकर जिला सीकर को रिमांड किया गया।

3. न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02. 2020 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट् उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10 से 13 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14 उपस्थित। शेष रेस्पोडेंट बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलांट् एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10 से 13 एवं 14 की बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुये कथन किया गया कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के सदभावी केता है तथा भूमि के खातेदार कृषक है। इस प्रकार अपीलांट प्रभावित व पीडित पक्षकार है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है तथा अपीलांट को उनके सुनवाई के विधिक अधिकार से वंचित कर प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को अपने विधिक अधिकारो की रक्षा करने के लिये अपीलाधीन आदेश को चुनौति दिये जाने का अधिकार प्राप्त हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10 से 12 द्वारा अपीलांट के कथनो का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि वादग्रस्त नामान्तकरण विरासत का नामान्तकरण है जिससे अपीलांट किसी भी रूप में प्रभावित पक्षकार नही है। अतः उनका प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी खारिज कर अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाये।

7. प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि के सद्भावी केता होने के अपीलांट के कथन पर रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपत्ति नही की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित पक्षकार है जिन्हे न्याय के प्राकृतिक सि्द्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्योचित है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. अपील के गुणावगुण पर बहस करते हुये अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 743 मृतका सिणगारी की विरासत में रेस्पोडेंटस संख्या 13 के हक में स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 12 द्वारा उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेंट संख्या 13 उमराव के सिणगारी की पुत्री होने के तथ्य को कोई चुनौति नही दी गई है वरन सिणगारी के पक्ष में मृतक चन्द्रानाथ की विरासत में उनके पुत्रान देबूनाथ, सुखानाथ व मृतक की विधवा सिणगारी के हक में वादग्रस्त भूमि के 1/3 – 1/3 हिस्से का स्वीकृत हुआ था। उक्त नामान्तकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकमर में चुनौति दी गई थी जिसे न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.2011 को पारित कर निरस्त कर दिया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 13 उमराव देवी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

आयुक्त के समक्ष अपील संख्या 26/2011 के माध्यम से चुनौति दी गई थी जिसमें निर्णय दिनांक 14.11.2011 पारित किया जाकर नामान्तकरण संख्या 96 के बहाल रखा गया है। उक्त निर्णय की कोई अपील नही की गई है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 96 अन्तिम हो चुका हैं। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 743 सिणगारी की विरासत का उसकी पुत्री उमराव रेस्पोडेंट संख्या 13 के हक में स्वीकृत किया गया है तथा उमराव के सिणगारी की पुत्री होने के तथ्य को रेस्पोडेंट द्वारा कोई चुनौति नही दी गई है। विरासत को लम्बित नही रखा जा सकता है। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 743 स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा मात्र इस आधार पर कि वादग्रस्त भूमि के हक अधिकार से संबंधित विभिन्न वाद न्यायालयो में विचाराधीन है, अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 743 को निरस्त कर दिया गया है जबकि नामान्तकरण एक फिस्कल प्रविष्टि है तथा उसके द्वारा कृषि भूमि के अधिकारो का निर्धारण नही होता है। वादग्रस्त नामान्तकरण विभिन्न न्यायालयो में विचाराधीन घोषणात्मक दावो में कतई बाधक नही है तथा विरासत उन दावो के निर्णय होने तक रोक कर नही रखी जा सकती है। इस संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2008 RRD 383 एवं 2002 RRD 10 प्रस्तुत किये गये जिनमें Succession cannot be kept in abeyance के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2020 को निरस्त कर नामान्तकरण संख्या 743 को यथावत रखे जाने का अनुतोष चाहा गया।

9. अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कथनो का विरोध करते हुये कथन किया गया कि सिणगारी के पति कुम्भाराम की मृत्यु अपने पिता चन्द्रानाथ की मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी तथा सिणगारी का अपने श्वसुर मृतक चन्द्रानाथ की विरासत में कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। वादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 743 सिणगारी की विरासत में उसकी पुत्री उमराव के हक में तस्दीक किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि में सिणगारी का ही कोई हक अधिकार नही है तो उमराव को भी कोई हक अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि में के हक अधिकारो को रोक़कर सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिनमें विचाराधीन रहते सिणगारी की विरासत का नामान्तकरण तस्दीक नही किया जा सकता है। इन समस्त तथ्यो को ध्यान में रखकर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2020 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये।

10. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2020 वादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 743 दिनांक 25.05.2011 द्वारा तहसीलदार सीकर के विरूद्ध पारित किया गया है। उक्त नामान्तकरण को तहसीलदार सीकर द्वारा विस्तृत विवेचन के उपरान्त एक स्पीकिंग आदेश पारित कर तस्दीक किया गया है। तहसीलदार द्वारा निष्कर्ष विरचित किया गया है कि "ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत अनोपपुरा के वारिस प्रमाण पत्र एवं राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 27.01.2011 को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीया उमराव देवी को जन्म के साथ स्वमेव प्राप्त उतराधिकार को बाधित किया जाना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होगा। विरासत का नामान्तकरण एक आवश्यक एवं सामान्य प्रकिया है। इन सभी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुये उमरावदेवी पुत्री सिणगारी देवी पत्नि कुम्भानाथ के नाम विरासत का नामान्तकरण स्वीकार किया जाता है।" इस प्रकार तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 743 न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुये स्वीकृत किया गया है। उमराव देवी सिणगारी की पुत्री है इस तथ्य को रेस्पोडेट्स द्वारा भी नकारा नही गया है। वादग्रस्त नामान्तकरण की अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत अपील में पूर्ववर्ती नामान्तकरण संख्या 96 के तथ्यो की चुनौति दी गई है जो कि अंतिम हो चुका है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि में के हक अधिकार संबंधी वाद विचाराधीन होने का आधार लिया गया है। उक्त दोनो आधार वादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 743 की वैधता को चुनौति दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार नही है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामान्तकरण द्वारा कृषि भूमि में हक अधिकारो का निर्धारण नही किया जा सकता है। जहॉ तक हक अधिकार संबंधी नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने का प्रश्न है, वादग्रस्त नामान्तकरण उक्त वाद में बाधक नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो के मध्य हक निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह न्यायोचित नही है तथा विधिक त्रुटि से ग्रसित है। अतः अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2020 अपास्त किया जाता है तथा वादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 743 यथावत रखा जाता है।
12. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner